

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2011—फाल्गुन 24, शक 1932

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2011

क्र. एफ. 12-15-11-सत्रह-मेडि-3.—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12-58-99-सत्रह-मेडि-3, दिनांक 18 अप्रैल 2006 एवं मेडिकल मैनुअल (संशोधित प्रकाशन 1940) के पैरा 476 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

संशोधन

इस विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सलयों/स्वास्थ्य केन्द्रों के आन्तरिक रोगियों के लिये निर्धारित भोजन पर होने वाले व्यय रुपये 20/- से बढ़ाकर रुपये 30/- प्रतिदिन प्रत्येक आन्तरिक रोगी के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2011 से निम्न तालिका अनुसार निर्धारित करता है:—

क्र. (1)	स्वीकृत आहार (2)	मात्रा (3)	कीमत (रु. में) (4)
1	दूध	300 मी.ली.	07.80
2	आटा	300 ग्राम	04.80
3	चावल	100 ग्राम	01.50
4	दाल	60 ग्राम	03.60
5	हरी सब्जियां	100 ग्राम	01.80
6	अन्य सब्जियां	100 ग्राम	02.00
7	कंद मूल (Roots & Tubers)	100 ग्राम	01.50
8	शक्कर	20 ग्राम	00.65
9	चाय	10 ग्राम	01.60
10	तेल	25 ग्राम	01.50
11	मिर्च-मसाले, नमक आदि	20 ग्राम	03.00
कुल योग . .			29.75 (रु. 30)

2. उक्त आन्तरिक रोगियों के लिए भोजन दरों में की गई वृद्धि हेतु वित्त विभाग की टीप क्रमांक सी.आर.919-ब-6-10-चार, दिनांक 24 दिसम्बर 2010 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश जैन, उपसचिव.